प्रेस विज्ञप्ति

08.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, अहमदाबाद के समक्ष 07.08.2025 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह शिकायत "दानी डेटा ऐप" के संचालकों और 9 अन्य आरोपियों के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की गई है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, बनासकांठा, गुजरात द्वारा आईपीसी, 1860 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि एक चीनी नागरिक द्वारा लॉन्च किए गए उक्त ऐप ने गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप्स और व्हाट्सएप रेफरल ग्रुप के माध्यम से सट्टेबाजी और फुटबॉल गेम खेलने के नाम पर धन एकत्र किया। भोले-भाले निवेशकों को प्रति गेम 0.75% की गारंटीकृत वापसी का वादा करके लुभाया गया था, जो एक झूठा वादा था। उदाहरण के लिए, 1000 रुपये केवल 30 दिनों में 1.95 लाख रुपये हो जाएँगे। विभिन्न भुगतान एग्रीगेटर्स जैसे एग्रीपे, भारतपे, कैशफ्री, पेटीएम आदि के साथ खोले गए कई मर्चेंट आईडी के माध्यम से धन एकत्र किया गया था। उक्त धनराशि दिसंबर, 2021 से जून, 2022 की अवधि के दौरान उक्त मर्चेंट आईडी से जुड़े बैंक खातों में भेजी गई थी।

ईडी ने पहले भी छापेमारी की है और विभिन्न मर्चेंट आईडी में उपलब्ध **आईएनआर 20.01 करोड़** (लगभग) और उनसे जुड़े बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कर दिया है। यह भी पाया गया है कि इस तरह से अर्जित सैकड़ों करोड़ रुपये की आपराधिक आय को अनगिनत लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से, फर्जी संस्थाओं के नाम पर बड़ी संख्या में खोले गए बैंक खातों में स्थानांतरित करके, धन शोधन किया गया था। इस आय को अंततः नकद निकासी, विदेशी मुद्रा खरीदकर, क्रिप्टो में परिवर्तित करके और विदेश में भेजकर, सिस्टम में एकीकृत किया गया।

आगे की जाँच जारी है।